कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक – 3082 /2ई0व0भू0, दिनांक 21 / 12 / 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय :– जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत फटगली से धमोली मालूझाल–––ओखलसौं मोटर मार्ग का निर्माण कार्य के सम्बंध में। (प्रस्ताव संख्या–18757 / 2016)

सन्दर्भ :– Online Objection Dated 12.10.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक EDS का अवलोकन करने का कष्ट करें। बिन्दुवार लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर निम्नवत Online Upload कर दिया गया है।

क्र0सं0	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	Short narrative of the project does not give adequate information of the project (Online at para-A1(iii) in part-I).	Adequate information of the project (Short narrative) has been given in Online at para-A1(iii) in part-I.
2	Details of employment likely to be generated are filled incorrect at para-E Part-I online.	Details of employment is corrected on online at part-I
3	Village wise breakup of the forest land proposed for diversion has been uploaded at para-B 2.3 in part-I for 5 villages but VLC proceedings are submitted for only one village.	VLC for 4 villages has been prepared and uploaded in part-I at para-B 2.3.
4	Working plan prescription is filled incorrect at para-5 part-II online.	Action shall be taken by from your end please.
5	Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest is shown 0.00km which is incorrect uploaded at column 7 in online part-II.	Action shall be taken by from your end please.
6	SOI Toposheet uploaded online at column-C(iii) Part-I has been uploaded at D(ii) A in alternative examine.	Action shall be taken from your end please.

Please upload the same from your end.

Executive Engineer
Provincial Division PD,PWD
Bageshwar.

प्रपत्र–30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No- Memo f. Road Dated- 11.3.2016

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.103 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Fatgali-Dhamoli-Malujhal-Okhalsoo motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Dhamoli-Malujhal and Okhalsoo** villages in **Bageshwar** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.103 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committe(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Signature

Dated 11.3.2016

(Bhupal Singh Manral,)

District Collector

Seal जिलाधिकारी बागेश्वर

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसौं मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–मालूझाल (तोक–तालड़)
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसौं मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.111 है0 आरक्षित वन भूमि, 2.992 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.103 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मालूझाल द्वारा दिनांक 9-12-17 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत मालूझाल के तोक–तालड़ ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 / ग्राम सचिव

ह0 / ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत मालूझाल
वि०ख० बागेश्वर
जिला बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 9.12.17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम–मालूझाल (तोक–तालड़)

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	श्री मोहन सिंह S/. पान सिंह रावल	मोहन सिंह
(2)	श्री हरक सिंह S/. " " "	हरक सिंह
(3)	श्री दिवान सिंह S/. " " "	दीवान सिंह
(4)	श्री कुन्दन सिंह S/. अमर सिंह "	कुन्दन सिंह
(5)	श्री दीवान सिंह S/. जैमत सिंह (कार्ड)	दीवान सिंह
(6)	श्रीमती जयन्ती देवी W/. नारायण सिंह (कार्ड)	जयन्ती देवी
(7)	" मोहनी देवी W/. बलवन्त सिंह (कार्ड)	मोहनी देवी
(8)	श्री शिव चरण सिंह S/. माधो सिंह "	[signature]
(9)	" धन सिंह S/. जैमत सिंह "	धन सिंह
(10)	धरम सिंह बिष्ट S/. श्याम सिंह "	धरम सिंह
(11)	बलवन्त सिंह S/. शिव सिंह बिष्ट)	बलवन्तसिंह
(12)	कुंवर सिंह W/. दुर्गा देवी	दुर्गा देवी
(13)	देवेन्द्र सिंह S/. दीवान सिंह	देवेन्द्रसिंह
(14)	नारायण सिंह S/. शोबन सिंह	नारायणसिंह
(15)	शिवसिंह S/o कान्चे सिंह	[signature]
(16)	नन्दनसिंह S/o अमर सिंह	नन्दनसिंह
(17)	रतनसिंह S/o लक्ष्मसिंह	[signature]
(18)	सुन्दरसिंह S/o डुंगरसिंह	[signature]
(19)	किसन सिंह S/o जमनसिंह	kisan
(20)	रतनसिंह S/o विजय सिंह	रतन सिंह
(21)	देवकी देवी W/o मोहनसिंह	देवकी देवी
(22)	हेमादेवी W/o अमरसिंह	हेमा देवी
(23)	भगवती देवी W/o राजनसिंह	भगवती देवी

क्रम

दीपा देवी W/O जगदीश सिंह

प्रतापसिंह W/O देवसिंह

प्रमोद सिंह S/O मोहन सिंह

गोपाल सिंह S/O लाल सिंह

बच्चे सिंह S/O तेजसिंह

प्रतापसिंह S/O त्रिलोक सिंह

माधवी देवी W/O खडकसिंह

चम्पादेवी W/O हयात सिंह

मोहन सिंह S/O ~~मोहन~~ दानसिंह

दीपा देवी
प्रताप सिंह रावल
Bromod Singh Rawal
गोपाल सिंह
बच्चे सिंह
प्रताप राव
माधवीदेवी
मोहन सिंह

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसौं मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–फटगली (तोक–कमोल)
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसौं मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.111 है0 आरक्षित वन भूमि, 2.992 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.103 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत फटगली द्वारा दिनांक 1.12.17 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत फटगली के तोक–कमोल ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

प्रधान
ग्राम पंचायत फटगली
वि0ख0 / जिला- बागेश्वर

ह0 /
ग्राम प्रधान

ह0 /
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र... कमोल
वि0ख0 / जनपद- बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 11.12.17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम–फटगली (तोक–कमोल)

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	किशन राम S/o रवीम राम	किसनराम
2-	मनोज राम S/o तील राम	मनोजराम
3-	रमेश राम S/o किशन राम	[illegible]
4-	राजन राम S/o किशन राम	राजनराम
5-	गणेश राम S/o रिखम राम	गणेशराम
6-	श्याम लाल S/o गोपाल राम	श्याम लाल
7-	नन्दी देवी W/o हरीश राम	नन्दी देवी
8-	नन्दन राम S/o मोहन राम	नन्दन राम
9-	महेश राम S/o पूरन राम	महेश राम
10-	सीताराम S/o जोगाराम	सीताराम
11-	चन्दन राम S/o मोहन राम	चन्दन राम
12-	गोपाल राम S/o लाकूराम	गोपाल राम

[signature]

प्रधान

ग्राम पंचायत फटगली

वि0ख0/जिला- बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसौं मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–ओखलसौं (तोक–ओखलसौं)
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसौं मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.111 है0 आरक्षित वन भूमि, 2.992 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.103 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ओखलसौं द्वारा दिनांक 14-12-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत ओखलसौं के तोक–ओखलसौं ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/
ग्राम सचिव

ह0/
ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत ओखलसौं
जनपद-बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 14.12.17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम–ओखलसों (तोक–ओखलसों)

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बलवन्तसिंह पुत्र स्वर्गी पानसिंह	Balwant Singh
2	चन्द्रसिंह पुत्र जमनसिंह	Chander Singh
3	प्रतापसिंह पुत्र स्वर्गी पानसिंह	[illegible]
4)	हिवसिंह पुत्र स्वर्गी पानसिंह	Balwant Singh
(5)	रामसिंह पुत्र स्वर्गी पानसिंह	
6-	कुन्दनसिंह पुत्र " कुशलसिंह	[illegible]
7-	भूपेन्द्रसिंह " " लक्ष्मणसिंह	[illegible]
8	[illegible] " " लक्ष्मणसिंह	[illegible]
9	हरीश चन्द्रसिंह — " —	[illegible]
10	खीमसिंह — do —	[illegible]
	भूपाल सिह सबल सिह	[illegible]
	इन्द्र सिह सबल सिह	इन्द्र सिंह
	सुरेश सिह सबल सिह	सूर सिंह
	सूर सिंह हिम्मत सिंह	
	चनर सिंह हिम्मत सिंह	[illegible]

मुन्नी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत ओखलसों
जनपद-बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग का निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मालूझाल
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.111 है0 आरक्षित वन भूमि, 2.992 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.103 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष मे भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मालूझाल द्वारा दिनांक 18-02-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मालूझाल एवं तोक धमोली, के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव

मालूझाल – फटगली / धमोली / मालूझाल / ओखलसों मोटर मार्ग का प्रस्ताव (17) से पारित किया गया।

प्रधान
ग्राम पंचायत मालूझाल
विकास खण्ड व जिला–बागेश्वर
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग का निर्माण ।

दिनाक 18.02.2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मालूझाल

क्र0 स0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम		हस्ताक्षर
1	नारायण सिंह	मालूझाल	नारायण सिंह
2	बलवन्त सिंह	"	बलवन्त सिंह
3	दिवान सिंह	"	दिवान सिंह
4	कुन्दन सिंह	"	कुन्दन सिंह
5	शिवचरन सिंह	"	नारायण सिंह
6	नारायण सिंह	"	दीवान सिंह
7	दीवान सिंह	"	
8	नन्दन सिंह	धमोली	[illegible]
9	प्रमोद सिंह	"	कुन्दन सिंह
10	कुन्दन सिंह	"	प्रताप सिंह
11	प्रताप सिंह	"	
12	गोपाल सिंह	"	[illegible]
13	इन्द्र सिंह	"	शिव सिंह
14	शिव सिंह	"	
15	प्रताप सिंह	"	प्रताप सिंह
16	हयात सिंह	"	हयात सिंह
17	हिम्मत सिंह	"	पूरन सिंह
18	कमल सिंह	"	
19	पान सिंह	मालूझाल	कुन्दन सिंह
20	कुन्दन सिंह	"	बलवन्त सिंह
21	बलवन्त सिंह	"	दीवान सिंह
22	दीवान सिंह	"	

सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र- मालूझाल
वि0 ख0
जनपद–बागेश्वर

प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत मालूझाल
वि0ख0 व जिला–बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग का निर्माण ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.111 है0 आरक्षित वनभूमि, 2.992 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 0.00 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 4.103 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील बागेश्वर की दिनांक 10.03.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक श्री फिचाराम चौहान, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री फिचाराम चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री के0एस0रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्री श्री दमयन्ती देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.103 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.103 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 11.03.2016 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के प्रमाण पत्र दिनांक 10.03.2016 द्वारा फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग के लिए 4.103 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग के लिए 4.103 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग के लिए 4.103 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर जिलाधिकारी बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

1.6
प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः–   जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग का निर्माण ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.103 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 11-3-2016

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर